# कार्यवृत्त

## बुधवार, 02 पौष, शक संवत्, 1942

### ( दिनांक : 23 दिसम्बर, 2020 )

खण्ड–58

अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष, श्री करन माहरा, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री आदेश सिंह चौहान, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश तथा मौ0 फुरकान अहमद द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा की मांग की गयी।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–61 के अनुसार न्यायालय में विचाराधीन मामले को सदन में नहीं उठाया जा सकता। अगर विपक्ष कोई ऐसी सूचना दे जो न्यायालय में विचाराधीन न हो तो उस पर सरकार बात कर सकती है।

विपक्ष द्वारा उल्लिखित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की बार–बार मांग किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि जो मामला कोर्ट में है एस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। परन्तु मा0 सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे। जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। इस बीच एक अन्य विषय पर नियम 310 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत की गई।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

**11 बजकर 58 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए**

**12 बजकर 15 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए**

श्री0 अध्यक्ष ने विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा परन्तु वे नियम 310 के अन्तर्गत नई सूचना को लिए जाने पर अड़े रहे। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना को नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया। प्रश्न पूछे गए और उत्तर दिये गए।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन', मा0 सदस्य द्वारा स्व0 श्री चौधरी चरण सिंह की 112 वीं जयन्ती पर उनका एक चित्र प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में लगाने की मांग की गयी।

काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम–112 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्व0 श्री मोतीलाल बोहरा की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप सदन द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि दिवंगत मा0 राज्यपाल को सदन में श्रद्धांजलि देने की परम्परा नहीं है फिर भी चूंकि मा0 सदस्य ने व्यक्ति विशेष का विषय उठाया है अतः सदन समाप्ति पर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे उनमें से 07 सूचनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। निम्न मा0 सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं पड़ी हुई मानी गई–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री खजान दास | राजपुर रोड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दर नगर नाले के आच्छादित किये जाने सम्बन्धी। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)** |
| 2. | श्री राजकुमार ठुकराल | 66 रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में सिड़कुल द्वारा पूर्व में स्वीकृत दो सड़क सम्पर्क मार्गों की खराब गुणवत्ता व सड़क निर्माण न होने के बावजूद भी पूर्ण भुगतान अग्रिम किये जाने के सन्दर्भ में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)** |
| 3. | श्री सहदेव सिंह पुण्डीर | जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत भाउवाला व कण्डोली–बिधौली में बढ़ती आबादी के दृष्टिगत सरकारी अस्पताल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)** |
| 4. | श्री प्रीतम सिंह | छप्पन कोर्ट मसूरी में मजदूरों को बेघर किये जाने के कारण उनके परिवारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)** |
| 5. | श्री पुष्कर सिंह धामी | सक्रिय राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों को राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चतात् भी उनके परिजनों को पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)** |
| 6. | श्री प्रदीप बत्रा | उत्तराखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष को दिसम्बर तक किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी।)** |

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडा जलालपुर, पो0 हल्लूमाजरा में आन्तरिक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अजय कुमार पुत्र श्री समय सिंह, ग्राम डाडा जलालपुर, पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा'' जनपद हरिद्वार के ग्राम बालेकी यूसूफपुर, पो0 नन्हेड़ा में कब्रिस्तान की चारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री दाऊद पुत्र श्री अलीशेर, ग्राम बालेकी यूसूफपुर पो0 नन्हेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हसनपुर मदनपुर में मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री मनोज पुत्र श्री सत्यपाल, ग्राम हसनपुर, पो0 खास जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम अठाली के पौंरा सेरा में पम्पिंग सिंचाई योजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री केदार सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, ग्राम अठाली, विकास खण्ड भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, मा0 सदस्य द्वारा कल दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को सदन में मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में इकबालपुर की चीनी मिल में गन्ना किसानों के सौ प्रतिशत भुगतान के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया। संसदीय कार्यमंत्री द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि चीनी मिल इकबालपुर का वित्तीय वर्ष 2019–20 का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। जिस पर मा0 सदस्य द्वारा जोर दिया गया कि अभी तक पूर्ण भुगतान नहीं किया गया हें मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि किसानों का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है व अधिकारी भी सूचना देते वक्त सर्तकता बरतें।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि जैसा मा0 नेता प्रतिपक्ष ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि विषय जानकारी का है। अधिकारियों की सूचना सदन में मा0 मंत्रीगण के उत्तर का आधार बनती है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि अधिकारीगण सूचना देने में अति सर्तकता बरतें ताकि किसी प्रकार के सन्देह की गुँजाईश न रहे और जहाँ तक मा0 मंत्री जी का विषय है, मैं काजी साहब आपको भी कह रहा हूँ कि मंत्री जी का आशय आपको व्यक्तिगत आरोपित करने का नहीं था और इस प्रकरण को सदन की गरिमा को देखते हुए समाप्त किया जाना उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 की बैठक में दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

**विधायी कार्य**

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार।

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा ( आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण ) (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार।

3. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार।

4. उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 के विचार एवं पारण हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार।

**5.** हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, के विचार एवं पारण हेतु तिथि एवं समय निर्धारण पर विचार।

**असरकारी कार्यः–**

**निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :–**

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय''।

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक हे कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

**निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण :–**

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन–पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।''

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, ''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय''।

**नियम–54 की निम्न सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण :–**

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।''

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक–एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद–21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हॉसिल हो सके।''

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।''

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, ''उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।''

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश, श्री करन महरा, श्री आदेश सिंह चौहान एवं हाजी फुरकान अहमद की कुल 06 सूचना प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री करन माहरा, श्री आदेश सिंह चौहान, हाजी फुरकान अहमद एवं श्री हरीश सिंह की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बन्द पडे होटल, ढाबों तथा रेस्टोरेंन्ट को भारी भरकम पेयजल बिल प्रेषित करने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सरकारी भूमि पर लम्बे समय से अध्यासित परिवारों को मालिकाना हक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

राजकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री करन माहरा एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

**सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**

विधान सभा क्षेत्र जसपुर में कासनपुर नगर के किनारे 02 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये।

मा0 सिंचाई मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

पिरान कलियर, जनपद हरिद्वार में गंगनहर के पुल के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य, हाजी फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

औद्योगिक सलाहकार के कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य, काजी निजामुद्दीन, श्री प्रीतम सिंह, श्री करन माहरा एवं हाजी फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया। उनके उत्तर से संतुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों ने विरोध किया और जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान होने लगा।

**विपक्ष ने 'वेल' में आकर नारेबाजी की।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 की बैठक में दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

23 दिसम्बर, 2020

**विधायी कार्य**

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है पर यथावत् विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

24 दिसम्बर, 2020

प्रश्नकाल नहीं होगा।

<u>असरकारी कार्यः–</u>

<u>विगत सत्र के असरकारी संकल्प</u>

1. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

2. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

3. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

4. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

5. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

6. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

7. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

8. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

9. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

10. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

11. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

12. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय''।

13. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

14. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

15. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

16. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/XVII–1/2013–01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही

व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Resident) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

17. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय''।

18. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय''।

19. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय''।

20. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''।

**विगत सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव**

**1.** श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

**2.** श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

**3.** श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल

मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

**4.** श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

**5.** श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय ।''

**6.** श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन सरकार प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

**7.** श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

**8.** श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय''।

**9.** श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।''

**10.** श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।''

**11.** श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जून, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र विशेष में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आधारभूत सुविधाओं, सेवाओं आदि का विकास करते हुए, पलायन रोकने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें।''

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।''

13. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24–25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।''

**<u>विगत सत्र के नियम–54 की सूचना</u>**

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''

2. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

3. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय–व्यय निर्धारण में सम्बलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक–पृथक मात्राकरण आय–व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय–व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।''

- श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा :–

**''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

**16:26 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड– 2 से खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–9, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर मूलरूप में यथावत् विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–16, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को मूलरूप में यथावत् पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर मूलरूप में यथावत् विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–60, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को मूलरूप में यथावत् पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार — मा0 सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया– ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब — मा0 सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया– ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहाँ पर यह कार्यरत हैं। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब — मा0 सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया– ''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का पालन–पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार — मा0 सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया– ''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब — मा0 सदस्य ने नियम 54 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की– ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब — मा0 सदस्य ने नियम 54 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की– ''सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक–एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद–21 के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हासिल हो सके।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब — मा0 सदस्य ने नियम 54 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की– ''राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कालेजों से चिकित्सा उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब — मा0 सदस्य ने नियम 54 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की– ''उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 10(1)() के अन्तर्गत उपबंधित व्यवस्थानुसार विधान सभा के 02 (दो) मा0 सदस्यों को 'वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल' की प्रबन्ध परिषद में पदेन सदस्य के रूप नामित करने हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे। **(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)**

**16 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष द्वारा 10 मिनट के लिए स्थगित की गयी।**

**16 बजकर 56 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।**

ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत पं0 गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर को पर्याप्त बजट दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश शुक्ला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा थराली के विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फल्दियागांव में दिनांक 08 अगस्त, 2019 को आई भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों के विस्थापन तथा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा कार्यों में तेजी लाने के सम्बन्ध में श्रीमती मुन्नी देवी शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

**सदन की कार्यवाही 5 बजे अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**देहरादून :**

**दिनांक : 23 दिसम्बर, 2020**

**मुकेश सिंघल**
**सचिव (प्रभारी)**
**विधान सभा।**

**स्वीकृत,**
**प्रेम चन्द अग्रवाल**
**अध्यक्ष,**
**विधान सभा।**